

1/14726/202 प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फॉरेस्ट कालोनी, इन्दिरानगर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 24 नवम्बर, 2021

विषय: जनपद अल्मोड़ा में एन0एस0/एस0एच0/डी0एस0आर0/एस0एच0 39 विश्वनाथ से सैरफाटक 36.8 किमी0 एस0एच0 57.10 पनार पुल से बनौली 24.5 किमी0 तक मोटर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु 0.298 हे0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाईंस जियो इन्फोकॉम लि0, को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1202/FP/UK/OFC/145988/2021, दिनांक 12 नवम्बर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद अल्मोड़ा में एन0एस0/एस0एच0/डी0एस0आर0/एस0एच0 39 विश्वनाथ से सैरफाटक 36.8 किमी0 एस0एच0 57.10 पनार पुल से बनौली 24.5 किमी0 तक मोटर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु 0.298 हे0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाईंस जियो इन्फोकॉम लि0, को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति/स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0न0-11-09 /98-एफ0सी0 दिनांक 16.10.2000, 08.04.2009, शासनादेश संख्या एफ0न0-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009, एफ0न0-11-568/2014-एफ0सी0, दिनांक 02.02.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0-156/7-1-2005-500(826)/2002, दिनांक 09.09.2005 एवं भारत सरकार द्वारा मार्च, 2019 में निर्गत मार्ग-निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्रदत्त प्राधिकार के तहत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति/अनुमति प्रदान करते हैं-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उनका रखरखाव किया जायेगा।
5. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथार्थिती उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
6. फाईबर केबिल बिछाने का कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
7. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, फाईबर केबिल बिछाये जाने वाले भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित फाईबर केबिल बिछाये जाने के समय एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।

11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से फाईबर केबिल बिछाये जाने के दौरान/खुदाई के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
14. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने के कार्य के लिए संबंधित लो0नि0वि0, डिविजन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति में पत्र/आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

**Signed by Vijay Kumar
Yadav**

Date: 24-11-2021 15:03:03

भवदीय,

**(विजय कुमार यादव)
सचिव।**

संख्या: 1624 (1)/X-3-21/02(39)/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, जनपद-अल्मोड़ा।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
6. महाप्रबन्धक, रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्लॉट नं0 32, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

**(विजय कुमार यादव)
सचिव।**